न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी -- श्री गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या/42/2013

1. मदनलाल पुत्र श्री नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. कानाराम पुत्र श्री नारायण
2. जगदीश पुत्र श्री नारायण
3. भंवरलाल पुत्र श्री नारायण
4. रमेश पुत्र श्री नारायण

   समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जयपुर जिला जयपुर

—अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 18.10.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पेश किया गया कि खाता संख्या नया 238, खाता संख्या पुराना 210 की भूमि जिसका साबिक खसरा नंबर 2110 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2111 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2112/2547 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2121 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2152 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2153 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2162 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2163 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2164 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2165 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2750/1767 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2751/2109 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2752/2548 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2756/2116 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2757/2120 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 4.93 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 242 खाता संख्या पुराना 171 जिसके खसरा नंबर 2119/1 रकबा 0.015 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2120/1 रकबा 0.025 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर स्थित ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0) जो कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की शामलाती है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अप्रार्थ सम्पूर्ण भूमि का 1/5–1/5 हिस्सा प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का संयुक्त रूप से निहित है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर कब्जा काश्त चले आ रहे तथा उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे है। जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का अपना हिस्सा दर्ज है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 का भी 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज है। लेकिन अप्रार्थीगण के मन में फितुर आ गया है जो कि उक्त आराजीयात को असामाजिक तत्वो भूमाफियाओं के साथ मिलकर प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात को हडपने व खुर्द बुर्द करने की नीयत से अवैध रूप से बेचान कर हस्तांतरण करने तथा प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने की नियत से आये दिन गैर कानूनी गतिविधि संचालित करते है तथा कहते है कि वो किसी अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान कर मिलीभगत करके प्रार्थी के हक हिस्से की आरजीयात से बेदखल कर देगे तथा कब्जा किसी दिगर व्यक्ति को सुर्पुदकर देगे। जिसके लिये प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात का विधिवत रूप से तकासमा करा लेवे। इसके बाद ही हिस्से की आराजीयात का बेचान करें। लेकिन अप्रार्थीगण उग्र हो गये तथा झगडा फसाद करने लगे कि हम तो हमारे जचे जिसको इस जमीन को बेचान करेगे तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो। और इस तरफ से प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजीयात को अलग से अपने नाम घोषित कराकर विधिवत तकासमा माननीय न्यायालय से कराकर राजस्व रिकॉर्ड व सरकारी कागजो में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी को वाद हेतुक तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबरान् पर दिनांक 28.03.2023 को जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करने व भूमि को बेचान करने की धमकी देने तथा प्रार्थी को आराजीयात भूमि से बेदखल करने की धमकी देने व जबरन बेदखल करने व आराजीयात को बेचान कर खुर्द बुर्द करने की धमकी प्रार्थी को दिये जाने के पश्चात से ही लगातार उत्पन्न होकर जारी है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 238 पुराना 210 कुल किता 17 कुल रकबा 4.93 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 242 पुराना 171 के खसरा नंबर कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित की भूमि में प्रार्थी के हिस्से से बेदखल कर कब्जा नही करे, जबरन कोई निर्माण कार्य नही करे, जबरन कब्जे का कोई प्रयास नही करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत नही करे, जबरन बेदखल नही करे, उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 4 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 4 का ही कब्जा चला आ रहा है। जब प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज ही नहीं है तो प्रापर्टी डिलरो से मिलीभगत करने व सांठगांठ करने व प्रार्थी को बल पूर्वक बेदखल करने के तथ्य स्वतः ही मिथ्या साबित हो जाते है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं है तो प्रार्थी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने, कृषि कार्य हेतु मना करने या किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन, इकरारनामा मुखत्यारनामा इत्यादि निष्पादित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के संबंध में पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना नहीं है, ना ही अप्रार्थी द्वारा जबरन व ताकत के बल पर गुण्डे बदमाशो भू–माफियाओं के जरिये सरकारी अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलकर बेदखल कर कब्जा बेचान इकरारनामा मुख्तयारनामा इत्यादि की कार्यवाही की गई है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, ये सभी तथ्य मनगंढत व झूठे है, जिससे इसी आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है अप्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिससे

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अपूर्तनीय क्षति, प्रथम दृष्टया प्रकरण, व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है और इसी आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मय दस्तवेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजीयात के सह–खातेदार काश्तकार है। पक्षकारान् में विवाद मुख्य रूप से विवाद कब्जे–काश्त के संबंध में है। उक्त विवाद का निस्तारण तो मूलवाद में किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण में किसी प्रकार का विवाद न हो, तथा वादग्रस्त आराजी का मूलवाद के निस्तारण तक संरक्षण हो सके।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 238, खाता संख्या पुराना 210 की भूमि जिसका साबिक खसरा नंबर 2110 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2111 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2112/2547 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2121 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2152 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2153 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2162 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2163 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2164 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2165 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2750/1767 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2751/2109 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2752/2548 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2756/2116 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2757/2120 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 4.93 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 242 खाता संख्या पुराना 171 जिसके खसरा नंबर 2119/1 रकबा 0.015 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2120/1 रकबा 0.025 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर स्थित ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0) स्थित के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner